दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या. (सि.) 6395/2024

जी हेमंत ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अश्विनी कुमार धतवालिया, सुश्री इति शर्मा और श्री पुनीत शर्मा अधिवक्ता

बनाम

रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ और अन्य ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: अ.स्था.अ. (सि) रा.रा.क्षे.दि.स. श्री समीर वशिष्ठ की अधिवक्ता सुश्री हर्षिता नाथरानी, डीडीए की स्थाई अधिवक्ता श्री मृणालिनी सेन गुप्ता

निर्णय की तिथि: 06 मई, 2024

कोरम:

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

<u>निर्णय</u>

<u>मनमोहन, का.मु.न्या:</u> (मौखिक)

1. वर्तमान रिट याचिका 19 मार्च, 2012 के विवादित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 1-सहकारी समितियों के पंजीयक ('आर.सी.एस.') द्वारा फा. सं. एफ 46/1411 एच. बी./डब्ल्यू. ई. एस. टी./422-424 में पारित किया गया है, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 2- मियांवाली जिला सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी

लिमिटेड ('सोसाइटी') में सदस्य के रूप में नामांकित होने के योग्य नहीं था और परिणामस्वरूप, 400 वर्ग मीटर के भूखंड के आवंटन के उनके दावे को खारिज कर दिया।

1.1. याचिकाकर्ता ने 19 मार्च, 2012 के प्रत्यर्थी संख्या 1 के आदेश को बरकरार रखते हुए और उक्त पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए मामला संख्या 251/2012 वाली पुनरीक्षण याचिका में वित्तीय आयुक्त द्वारा 15 दिसंबर, 2023 को पारित आदेश पर भी आपत्ति जताई है।

2. वर्तमान याचिका पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1. यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता को 30 अगस्त, 1981 को 400 वर्ग किलोमीटर के भूखंड के विरुद्ध सदस्यता संख्या 1023 के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 2 सोसाइटी के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था और उन्होंने प्लॉट की लागत के लिए रु 48,763/- जमा किये था। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता के नाम को प्रत्यर्थी संख्या 2 सोसाइटी की तत्कालीन प्रबंधन समिति द्वारा पारित एक सर्वसम्मत प्रस्ताव में मंजूरी दी गई थी और एक शेयर प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

2.2. यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता का नाम आर.सी.एस. द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3-दिल्ली विकास प्राधिकरण ('डी.डी.ए.') को सोसाइटी में भूखंड के

आवंटन के लिए 3 मई, 1985 के पत्र के माध्यम से भेजा गया था, हालांकि, उनका नाम 15 अप्रैल, 1986 को डी.डी.ए. द्वारा आयोजित लॉट के ड्रॉ में शामिल नहीं किया गया था।

2.3. यह कहा गया है कि बाद में, याचिकाकर्ता का नाम रोक दिया गया था और दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 ('डी.सी.एस. अधिनियम') की खंड 55 के अधीन एक जांच शुरू की गई थी, ताकि इस विवाद में उनकी सदस्यता की वैधता की फिर से जांच की जा सके कि याचिकाकर्ता सदस्यता के लिए आवेदन दायर करने के समय नाबालिग था।

2.4. यह कहा गया है कि बाद में, रि.या. (सि) संख्या 5580/1993 में, इस न्यायालय ने 30 अक्टूबर, 1995 के आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1, आर.सी.एस. को प्रत्यर्थी संख्या 2 सोसाइटी के किसी भी सदस्य के विरुद्ध उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए एक अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्देश दिया। यह कहा गया है कि उक्त आदेश के अनुपालन में, श्री. आर.सी. रिचरिया, निदेशक (कार्मिक और शिकायत), भारत सरकार (सेवानिवृत्त) को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह कहा गया है कि उक्त अध्यक्ष ने 11 अप्रैल, 1996 को 632 सदस्यों की एक सूची को अंतिम रूप दिया जिसमें क्रम संख्या 569 पर याचिकाकर्ता का नाम शामिल था और याचिकाकर्ता की सदस्यता/पात्रता के विरुद्ध आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था।

2.5. यह कहा गया है कि उपरोक्त के बावजूद, प्रत्यर्थी संख्या 2 सोसाइटी में भूखंड का आवंटन न होने के कारण, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष रि.या. (सि) 24099/2005 दायर कर भूखंड के आवंटन के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश देने की मांग की। प्रत्यर्थीगण को भूखंड के आवंटन के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर तेजी से विचार करने और निर्णय लेने के निर्देश के साथ उक्त याचिका का निपटारा 25 नवंबर 2010 के आदेश के माध्यम से किया गया था।

2.6. यह कहा गया है कि उपरोक्त के अनुसरण में, प्रत्यर्थी संख्या 1, आर.सी.एस. ने 13 फरवरी, 2012 को एक आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया कि याचिकाकर्ता नाबालिग था और जिस तिथि को उसने सोसाइटी में सदस्यता के लिए आवेदन किया था, उस तिथि पर वह अपने माता-पिता पर आर्थिक रूप से निर्भर था।

2.7. हालाँकि, यह कहा गया है कि इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को मामले पर नए सिरे से पुनर्विचार करने और सदस्यता और आवंटन के मुद्दे पर एक नया तर्कपूर्ण आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

3. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए 19 मार्च, 2012 का विवादित आदेश पारित किया और कहा कि याचिकाकर्ता को दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973 के नियम 25 (1) (सी) (क) के अधीन प्रत्यर्थी संख्या 2

सोसाइटी का सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया गया था क्योंकि वह अपने माता-पिता पर आर्थिक रूप से निर्भर था और उसके पास सदस्यता और भूखंड की लागत का भुगतान करने के लिए वित्तीय स्रोत नहीं थे। आर.सी.एस. ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता की माँ, जिनके पास पहले से ही सोसाइटी में अपने नाम पर एक भूखंड 1 था, प्रासंगिक समय पर प्रबंध समिति की कार्यकारी सदस्य थीं।

4. 19 मार्च, 2012 के उक्त आदेश को वित्तीय आयुक्त ने 15 दिसंबर, 2023 के अपने आदेश के माध्यम से बरकरार रखा है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आर.सी.एस. और वित्तीय आयुक्त ने माना है कि याचिकाकर्ता को अयोग्य इसलिए ठहराया गया है क्योंकि (क) नामांकन के समय, याचिकाकर्ता के पास लागत का भुगतान करने के लिए वित्तीय स्रोत नहीं थे; (ख) याचिकाकर्ता की मां को उसी सोसाइटी में एक आवासीय भूखंड आवंटित किया गया था; और (ग) याचिकाकर्ता की मां संबंधित समय पर प्रबंध समिति में कार्यकारी सदस्य थीं। उनका कहना है कि इनमें से कोई भी निष्कर्ष डी.सी.एस. नियम, 1973 के नियम 25 के अधीन अयोग्यता साबित नहीं कर सकता है।

5.1. वह नियम 25 और विशेष रूप से खंड (सी) (क), (ख) और (ग) के बारे में अपनी समझ को स्पष्ट करते हुए आर.सी.एस. द्वारा जारी किए गए 3 अगस्त, 1988 के ज्ञापन ('ज्ञापन') को आधार बनाता है। वह कहते हैं कि उक्त

स्पष्टीकरण के अनुसार, याचिकाकर्ता, जो सदस्य के रूप में अपने नामांकन की तिथि को एक वयस्क था, पात्र है।

5.2. अंत में, वे कहते हैं कि कम से कम तीन समान पद वाले व्यक्ति हैं, जिन्हें सदस्यता में भर्ती किया गया है और सोसाइटी में भूखंड आवंटित किए गए हैं। उनका कहना है कि इसलिए, याचिकाकर्ता की अयोग्यता संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

6. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख का अध्ययन किया है।

7. याचिकाकर्ता ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि उनकी माँ सोसाइटी में प्रबंध समिति की कार्यकारी सदस्य थीं। याचिकाकर्ता ने इस बात पर भी विवाद नहीं किया है कि उसकी माँ को इस सोसाइटी में आवासीय भूखंड सं. ए-7/21 आवंटित किया गया था। इसके अलावा, आर.सी.एस. और वित्तीय आयुक्त दोनों ने तथ्यों का समवर्ती निष्कर्ष दिया है कि याचिकाकर्ता के पास 4 सितंबर, 1981 पर भूखंड की लागत और सदस्यता शुल्क के लिए रु. 48,763/- का भुगतान करने के लिए कोई वित्तीय संसाधन नहीं था। इन तथ्यों से, वित्तीय आयुक्त ने निष्कर्ष निकाला कि भूखंड याचिकाकर्ता के माता-पिता द्वारा अपने बच्चों के नाम पर बेनामी रखा जा रहा था।

8. डी.सी.एस. नियम, 1973 के नियम 25 का उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित करना है जो स्वयं या जिसके जीवनसाथी और/या आश्रित बच्चों के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ('एन.सी.टी. दिल्ली') में एक आवासीय घर या भूखंड है। वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता की माँ, श्रीमती भाग गेरा को इस सोसाइटी में भूखंड सं. ए-7/21 आवंटित किया गया। उक्त भूखंड श्रीमती भाग गेरा को इस घोषणा पर वैध रूप से आवंटित किया गया था कि न तो उनके और न ही उनके जीवनसाथी या उनके आश्रित बच्चों के पास दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोई आवासीय घर या भूखंड है।

9. हालाँकि, श्रीमती भाग गेरा को भूखंड आवंटित किए जाने के बाद, उन्होंने सोसाइटी के एक कार्यकारी सदस्य होने के कारण अपने बेटे यानी याचिकाकर्ता-जी. हेमंत और छोटे बेटे यानी सुधीर कुमार को भूखंड आवंटित करने में मदद की। आर.सी.एस. और वित्तीय आयुक्त ने इस तथ्य का निष्कर्ष निकाला है कि न तो याचिकाकर्ता और न ही श्री सुधीर कुमार के पास वर्ष 1981 में संबंधित समय पर भूखंड के आवंटन के लिए भुगतान करने के लिए कोई स्वतंत्र वित्तीय संसाधन थे। आर.सी.एस. और वित्तीय आयुक्त ने माना कि यह धन याचिकाकर्ता के माता-पिता और श्री सुधीर कुमार द्वारा दिया गया था। इन विचित्र तथ्यों के कारण, आर.सी.एस. और वित्तीय आयुक्त ने निष्कर्ष निकाला है कि श्रीमती भाग गेरा ने डी.सी.एस. नियम, 1973 के नियम 25 की सीमा के अंतर्गत कानून के हितकारी इरादे को दरकिनार करने की कोशिश की है, जिसका उद्देश्य यह है कि

आवास की कमी और भूमि के संसाधन की सीमित उपलब्धता को देखते हुए, किसी सहकारी समिति में भूखंड/फ्लैट प्रति परिवार आवंटित किए जाने चाहिए, न कि प्रति व्यक्ति को। यह विशेष रूप से तब होता है जब परिवार के सदस्य एक इकाई के रूप में मौजूद होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं।

10. इस मामले के तथ्यों में, यदि याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्रभाव यह होगा कि श्रीमती भाग गेरा, उनके बड़े बेटे यानी याचिकाकर्ता और उनके छोटे बेटे यानी श्री सुधीर कुमार, सभी वर्ष 1981 में और उस समय सीमा में जब दोनों बेटे आर्थिक रूप से माता-पिता पर निर्भर हैं और एक इकाई के रूप में एक साथ रह रहे हैं, सभी सोसाइटी में एक-एक भूखंड के आवंटन के हकदार बन जाएंगे। इस प्रकार, चार सदस्यों के परिवार में, तीन सदस्य एक ही सोसिटी में एक-एक भूखंड के हकदार हो जाएंगे।

11. हमारी सुविचारित राय में, यदि एक ही सोसाइटी में एक ही परिवार के सदस्यों के बीच इस तरह के आवंटन की अनुमति दी जाती है, तो यह दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की घोषणा के उद्देश्य और तर्कों के विपरीत होगा, जिसका उद्देश्य दिल्ली में भूमि जैसे दुर्लभ संसाधन को रियायती कीमतों पर और सरकारी सहायता के साथ प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराना था, न कि प्रत्येक व्यक्ति को।

12. डी.सी.एस. नियम, 1973 का नियम 25 (2), ***दौलत राम मेहनीद्रत्ता बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल और अन्य***, मामले में इस न्यायालय की पूर्ण

पीठ के समक्ष व्याख्या का विषय था, जिसमें इस न्यायालय ने इस नियम द्वारा होने वाले सार्वजनिक हित पर निष्कर्ष निकाला और इस बात पर जोर दिया कि इसका इरादा कुछ व्यक्तियों के हाथों में आवासीय भूखंडों के केंद्रीकरण से बचना था। पूर्ण पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि इस नियम का उद्देश्य सहकारी नियमों के अनुसार सदस्य के हित को सुनिश्चित करना है। प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

> *"8. ... उपराज्यपाल को नियम 25 जैसे नियम बनाने में समर्थ होने के लिए उप-धारा (2) में उल्लिखित विशेष मामलों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है, यह सराहनीय है कि नियम 25 (2) (1) और (2) के प्रावधान का प्रभाव यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने या अपनी पत्नी के या अपने आश्रित बच्चों के नाम पर एक आवासीय घर या भूमि का भूखंड रखता है, तो वह सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस नियम का उद्देश्य स्पष्ट है। चूंकि बड़े पैमाने पर आवास की कमी है और चूंकि भूमि सीमित है, इसलिए सरकार को अपनी नीतियों को इस तरह से तैयार करना और संशोधित करना चाहिए कि वह बड़ी संख्या में लोगों को घर प्रदान करने की उनकी आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ हो। यह तभी किया जा सकता है जब प्रत्येक परिवार की वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने के लिए रियायती कीमतों पर और सरकारी सहायता से भूमि के रूप में वितरण किया जाए। यदि किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा एक से अधिक आवासीय भूखंड प्राप्त करने पर कोई सीमा नहीं लगाई गई तो यह उद्देश्य निश्चित रूप से विफल हो जाएगा । **यह सच है कि एक परिवार या एक से अधिक घर के मालिक व्यक्ति के लिए कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं हो सकता है।** यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और वह इसका मालिक बनना चाहता है और यदि कानून में निषेध नहीं है, वह ऐसा कर सकता है, लेकिन फिर उसे इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी सहकारी समिति के साधन का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि नियम 25 (1) (सी) (2) और (2) बनाए गए हैं और यह केवल सहकारी सोसाइटी समिति के सदस्य पर लागू होता है। दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 1972 की धारा 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस*

सोसाइटी का उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को सुनिश्चित करना है, या इस तरह की सोसाइटी के संचालन को सुविधाजनक बनाना है, वह सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत की जा सकती है। इस प्रकार अधिनियम के अधीन पंजीकृत सोसाइटी जिन पर नियम 25 लागू होगा, वे वो सोसाइटी हैं जो सहकारी सिद्धांतों के अनुसार सदस्यों के हितों को सुनिश्चित करती हैं।...

...

... <u>सहकारी समिति का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं, बल्कि सदस्यों को उनके कार्यों में मदद करके उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सक्षम बनाना है। इस प्रकार वर्तमान जैसी सहकारी समितियाँ जो सरकार से रियायती दर पर भूमि प्राप्त कर घर बनवाती हैं, उनकी अनिवार्य रूप से यह सीमा होनी चाहिए कि केवल उन सदस्यों को सदस्य बनने और भूमि आवंटन का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी जिन्हें वास्तव में घरों की आवश्यकता है। सहकारी समिति की आड़ में किसी व्यक्ति को बाजार मूल्यों के दबाव से बचने और भूखंड प्राप्त करने में रियायती लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"</u>

(जोर दिया गया)

13. आर.सी.एस. और वित्तीय आयुक्त के विवादित आदेश डी.सी.एस. अधिनियम और डी.सी.एस. नियम, 1973 के उद्देश्य को सुनिश्चित करते हैं, जैसा कि पूर्ण पीठ द्वारा व्याख्या की गई है। वास्तव में, ***ईश्वर नगर सहकारी आवास भवन सोसाइटी बनाम परम नंद शर्मा अन्य*** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आर.सी.एस. द्वारा रखी गई निर्भरता उपयुक्त है। उक्त निर्णय भी उच्चतम न्यायालय डीसीएस नियम, 1973 के नियम 25 से संबंधित था और इसी तरह, न्यायालय ने कहा कि उक्त नियम 25 को लागू करने का उद्देश्य मूल अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाना था जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भूमि/फ्लैट प्रदान करना था और इसका उद्देश्य किसी पक्ष को

रियायती दरों पर भूमि हड़पने की अनुमति देना नहीं था। प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> *"18. एक सहकारी सोसाइटी को धन के उपकरणों के सामान्य स्वामित्व और लोकतांत्रिक प्रबंधन द्वारा अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से व्यक्तियों के एक स्वैच्छिक संघ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। (भारत में सहकारी समितियों के कानून का रो का विश्वकोश, खंड 2,पृ. 1.) अनुभव से पता चला है कि सहकारी समितियों जैसे स्वैच्छिक संगठन गरीब और कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छी प्रणाली हैं। एक सहकारी समिति का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है, बल्कि सदस्यों को उनके कार्यों में मदद करके उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सक्षम बनाना है। इस प्रकार, वर्तमान जैसी सहकारी समितियाँ जो सरकार से रियायती दर पर भूमि प्राप्त करना चाहती हैं और घर बनाना चाहती हैं, की यह सीमा होनी चाहिए कि केवल उन सदस्यों को सदस्य बनने और भूमि आवंटन का लाभ उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए जिन्हें वास्तव में घरों की आवश्यकता है। सहकारी समिति की आड़ में किसी व्यक्ति को बाजार मूल्यों के दबाव से बचने और भूखंड प्राप्त करने में रियायती लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार नियम 25(2) किसी भी तरह से अधिनियम की खंड 97(1) के अधीन दिए गए नियम बनाने के अधिकार के दायरे से बाहर नहीं जाता है।"*

(जोर दिया गया)

14. यदि नियम 25 की याचिकाकर्ता की व्याख्या याचिकाकर्ता के आवंटन से परे है, तो उक्त व्याख्या निश्चित रूप से उनकी मां श्रीमती भाग गेरा के नाम पर आवंटन को अपास्त करने के लिए होगी।

15. याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 03.08.1988 के ज्ञापन **("ज्ञापन")** को यह तर्क देने के लिए आधार बनाना कि याचिकाकर्ता, एक वयस्क पुत्र होने के नाते और अपने माता-पिता पर आर्थिक रूप से निर्भर होने के कारण, अपनी माँ को पहले

ही उसी सोसाइटी में भूमि आवंटित किए जाने के बाद इस सोसाइटी में सदस्यता और भूमि के आवंटन का हकदार था, इस न्यायालय के लिए अस्वीकार्य है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यदि याचिकाकर्ता का तर्क स्वीकार कर लिया जाता है तो याचिकाकर्ता के परिवार को एक ही सोसाइटी में तीन भूखंड आवंटित किए जाते, जो एक रियायती भूमि है। इस ज्ञापन का प्रभाव डी.सी.एस. अधिनियम के उद्देश्य, विशेष रूप से डी.सी.एस. नियम, 1973 का नियम 25, के विरुद्ध है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा ऊपर उल्लिखित निर्णयों में प्रतिपादित किया गया है।

16. विधायिका ने डी.सी.एस. नियम, 1973 के नियम 25 का मसौदा तैयार करते समय जानबूझकर 'नाबालिग बच्चों' के स्थान पर ''आश्रित बच्चे' वाक्यांश का उपयोग किया। आश्रित बच्चे वाक्यांश प्रासंगिक रूप से वित्तीय निर्भरता को संदर्भित करता है और इसमें वयस्क बच्चे भी शामिल हैं। इस प्रकार, जबकि विधायिका ने आर्थिक रूप से स्वतंत्र वयस्क बच्चे को नियम 25 के दायरे से बाहर रखा, इसमें आर्थिक रूप से निर्भर वयस्क बच्चे को शामिल किया गया क्योंकि यह एक धारणा उठाती है कि एक अचल संपत्ति, जो आश्रित बच्चे के नाम पर माता-पिता के धन से खरीदी जाती है, माता-पिता के उपयोग के लिए उपलब्ध है। और, चूंकि डी.सी.एस. अधिनियम का उद्देश्य भूमिहीन निवासियों को भूखंड/फ्लैट प्रदान करना है, ऐसे माता-पिता जिनके पास एक आश्रित वयस्क बच्चे के नाम पर खड़ी संपत्ति उपलब्ध है, वे अपात्र हैं।

17. इस प्रकार, किसी आर्थिक रूप से स्वतंत्र वयस्क युवा को सदस्यता के लिए आवेदन करने के लिए डी.सी.एस. नियम, 1973 के नियम 25 द्वारा सीमित नहीं किया गया है, भले ही उसके माता-पिता के नाम पर एक भूखंड/फ्लैट हो, हालाँकि, इस अपवाद का लाभ याचिकाकर्ता जैसे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है जो अपने माता-पिता के लिए मात्र एक स्थानधारक है। यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो यह डी.सी.एस. नियम, 1973 के नियम 25 के हितकारी उद्देश्य के विरुद्ध होगा। आर.सी.एस. द्वारा इस आशय के ज्ञापन में जारी किया गया स्पष्टीकरण डी.सी.एस. अधिनियम और डी.सी.एस. नियम, 1973 के नियम 25 के उद्देश्य के विपरीत है और इसे एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

18. याचिकाकर्ता का यह तर्क कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया है और उसके समान व्यक्तियों को इस सोसाइटी की सदस्यता दी गई है, इस न्यायालय के लिए स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह तय कानून है कि नकारात्मक समानता के आधार पर किसी दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है। चूंकि, हमने माना है कि याचिकाकर्ता को सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया था, इसलिए यह आधार किसी भी गुण से रहित है।

19. यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपने इक्विटी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस मामले के तथ्यों में आर.सी.एस. और वित्तीय आयुक्त के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है।

20. तदनुसार, लंबित आवेदनों के साथ वर्तमान याचिका का निपटारा किया जाता है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, न्या.

6 मई, 2024/एम.एस.एच./एए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*